के तहत कार्रवाई की जाती है । पुलिस थानों में रपट (एफ.आई.आर) भी दर्ज कराई जाती है ।

**Renovation of Vigyan Bhavan**

2551. SHRI SHANTI TYAGI : Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the sstimaled cort of renovating and rebuilding the Vigyan Bhawan;

(b) the quantum of work which has been done so far; and by when this building would be in its old shape again ; and

(c) whether new devices are being installed to protect it against fire and any such happening?

THE MINISTER OF STATS IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) The revised estimated cost is Rs. 24,78,66,000/- approximately.

(b) Nearly 20% of the work has been completed upto July 92. The renovation work is expected to be completed by 30th April, 1993.

(c) Yes, Sir. Automatic water sprinklers, Wat Risers and Fire hydrants are some of the new devices being provided for fire fighting.

**दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कैटल डेरी फार्म का आवंटन**

2552. **श्री राम नरेश यादव** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने मदनपुर खादर और मकसूदपुर कैटल डेरी फार्म को निःशुल्क आवंटित किया था और उस पर शुल्क लेने का निर्णय लिया गया ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितने लोगों ने शुल्क जमा किया है ;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आवंटिती शुल्क का बिना भुगतान किए उन स्थानों को बेच कर जा रहे हैं यदि हां, तो ऐसे कितने मामले सामने आए हैं, और

(घ) क्या सरकार ने कोई ऐसा आदेश जारी किया है कि ऐसी आवंटित जगह को खरीदा तथा बेचा जा सकता है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो जिन लोगों ने इसकी खरीद और बिक्री की है, उनके विरुद्ध क्या कारवाई की गई है, और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम)** : (क) जी, नहीं दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि मदनपुर खादर और मसूदपुर कैटल डेरी फार्म प्रारंभ में लाइसेंस आधार पर आवंटित किए गए थे परन्तु बाद में इनको लीज-होल्ड आधार पर आवंटित करने का निर्णय लिया गया था ।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं **(नीचे देखिये)**

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि ऐसा कोई मामला उनके ध्यान में नहीं आया है ।

(घ) कैटल डेरी फार्म के आवंटन की शर्तों के अनुसार खरीद/बेच की अनुमति नहीं है । दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि चूंकि, खरीद/बेच का कोई मामला उनके ध्यान में नहीं आया है, इसलिए उनके द्वारा कोई कारवाई अपेक्षित नहीं है । कैटल डेरी फार्म की अनधिकृत खरीद/बेच के मामले ध्यान में आने पर आवंटन की शर्तों के अनुसार कारवाई की जाएगी ।